रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना

1 योजना का नाम — रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना।

2 योजना का प्रारंभ — यह योजना सम्पूर्ण म.प्र. में 1.4.03 से आगामी आदेश तक प्राभावशील रहेगी।

3 योजना का उद्देश्य — अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश से सहायता उपलब्ध कराना जिसमें उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, विपणन, स्थापना आदि सभी चरणों में सहायता व सघन अनुसरण भी सम्मिलित है।

4 पात्रता — इस योजना के अन्तर्गत राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति पात्र होगे जोः–

- म.प्र. का मूल निवासी हो।
- अनुसूचित जाति/जनजाति का हो।(राजस्व अनुभाग स्तर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र हो)।
- उम्र 18 से 50 वर्ष हो।
- किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
- हितग्राही द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ नही उठया गया हो।
- आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रू. 3 लाख से अधिक न हो।
- इस योजना का लाभ दो या दो से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को साझेदारी/कम्पनी के रूप मे दिया जा सकता है। कम्पनी/साझेदार अनुसूचित जाति या जनजाति किसी एक ही वर्ग के होना चाहिये।

टीप– परिवार से आशय आवेदक/आवेदिका के पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चे अथवा आवेदक/आवेदिका के अविवाहित होने पर उसके माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन से है।

5 प्राथमिकता

अ. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग की ''वहुउद्देशीय इंजीनियर'' योजनान्तर्गत प्रशिक्षित।

ब. 1. हायर सेकेन्ड्री या उससे अधिक योग्यताधारी/ आई.टी.आई./डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/एमबीबीएस डॉक्टर अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित आवेदक।

2. महिला आवेदनकर्ता।

3. उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक।

4. आवेदक द्वारा औद्योगिक गतिविधि की स्थापना।
5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही।
6. निशक्त जन।

6 महिला/ निशक्त जन आवेदनकर्ता — इस वर्ग की महिला/निशक्त जनो के उम्मीदवारो को उचित प्रतिनिधित्व दिया जावेगा।

7 प्राप्त गतिविधियॉ — उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित समस्त गतिविधियॉ।

8 आवेदन प्रकिया — इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र ''परिशिष्ठ–एक'' में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवेदन पत्र निशुल्क वितरित किए जाने की व्यवस्था रहेगी।

9 आवेदन पंजीबद्ध करना — सभी प्राप्त आवेदन पत्रो को एक पृथक पंजी में पंजीबद्ध किया जावेगा तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में इस आवेदनो का परीक्षण किया जावेगा। पात्र आवेदनो में चयन की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

10 पात्र आवेदको को सूचना — पात्र आवेदको को चयन की अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र द्वारा संसूचना भेजी जावेगी। ऐसे आवेदको की सूची, कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जावेगी।

संसूचना में आवेदको को निर्धारित दिनांक को परामर्श तथा चयन समिति द्वारा साक्षात्कार संबंधी विवरण होगा।

11. परामर्श — चयन समिति की बैठक के पूर्व उसी दिन आवेदको को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा/ अथवा सेडमेप एवं अन्य विशेषज्ञो द्वारा स्वरोजगार/उद्यम स्थापना हेतु मार्गदर्शन के रूप में परामर्श दिया जावेगा। जिससे आवेदक चयन समिति के समक्ष अपनी योजना के संबंध में प्राभावी प्रस्तुतिकरण कर सके।

12 चयन प्रकिया — आवेदको का चयन ''प्रथम आओ, प्रथम पाओ'' के आधार पर किया जावेगा। सभी आवेदक सूचीबद्ध किये जावेगे। आवेदको का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होगेः–

1. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र– अध्यक्ष
2. जिला रोजगार आधिकारी –सदस्य
3. जिला अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि –सदस्य
4. बैंको के प्रतिनिधि –सदस्य
5. आदिवासी वित्त विकास निगम के जिला प्रतिनिधि। –सदस्य
6. म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रतिनिधि। –सदस्य
7. जिला समन्वयक, उद्यमिता विकास केन्द्र –सदस्य
8. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी –सदस्य
9. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण। –सदस्य
10. प्रबंधक, स्वरोजगार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र । –सदस्य सचिव

टीप:–लघु उद्योग सेवा संस्थान, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश कन्सल्टेन्सी आर्गनाईजेशन जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता अनुसार आमंत्रित किया जा सकेगा। चयन समिति की बैंठक प्रत्येक माह के 5 तथा 20 तारीख (अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस को) निश्चित रूप से आयोजित की जावे। बैठक के लिए कोरम का कोई बंधन नही होगा तथा प्रकरणों में उसी दिन (बैठक के दिन) निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। बैठक सामान्यतः जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में आयोजित की जावेगी। परन्तु आवश्यकता अनुसार विकास खण्ड/ तहसील/बैंक अथवा अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकेगी।

13 जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दायित्व

1. साक्षात्कार के माध्यम से प्रथमतः आवेदक के उद्यम का प्राथमिक चयन।
2. चयनित आवेदक को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो तदानुसार सामान्य/तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उसका अनुसरण।
3. यदि आवेदक को प्रशिक्षण की आवश्यकता नही है तो उसके उद्यम की सहायता हेतु पहल ।
4. क्रमांक 2 में उल्लेखित आवेदक यदि प्रशिक्षण के दौरान चिन्हित उद्यम में यदि परिवर्तन चाहता है तो आवश्यक सहायता ।
5. आवश्यकतानुसार तकनीकी/विपणन/वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहयोग देना।
6. हितग्राही से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना।

14 सहायता तथा अनुसरण के लिए अभिभावक की नियुक्ति

चयनित प्रत्येक हितग्राही के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभाग के प्रबघक/सहायक प्रबंधक को सहायता देने के लिए अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जावेगा। जो प्रारम्भ से ही समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्र पूर्ण करने, प्रकरण वित्तीय संस्थाओं को भेजने, वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु पूर्ण सहयोग रखेगा। तथा प्रशिक्षण के समय भी पूर्ण सम्पर्क में रहेगा।

अभिभावक उद्यम स्थापना के दो वर्ष तक हितग्राही के सम्पर्क में रहकर मानीटरिंग करेगा एवं आवश्यकता होने पर समय–समय पर अन्य आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन देगा तथा इस संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति को अवगत कराता रहेगा।

15 अभिभावक का दायित्व

अ. (।) ऐसे हितग्राही जिनके संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति ने यह पाया है कि उन्हें किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, महाप्रबंधक द्वारा ऐसे प्रकरणों में तत्काल अभिभावक की नियुक्ति की जाकर उद्यम स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ करवायें।

(।।) अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वहां हितग्राही की इकाई स्थापना हेतु आवश्यक व्यवस्था जुटाने में सतत परामर्श एवं सहायता दें, ऋण प्रकरणों को तैयार करने, बैंक से हितग्राही का सम्पर्क कराने, ऋण स्वीकृत कराने, ऋण वितरण कराने जैसी सभी गतिविधियों में हितग्राही के साथ सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे तथा हितग्राही को स्वरोजगार इकाई की स्थापना में आने वाली सभी कठिनाईयों के निराकरण में मदद करें

ब. (।) ऐसे हितग्राही जिनका चयन प्रशिक्षण हेतु किया गया है,

प्रकरणों में भी महाप्रबंधक द्वारा तत्काल ही किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व अभिभावक नियुक्ति की जावेगी।

(।।) अभिभावक का यह दायत्वि होगा कि सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में हितग्राही के सतत सम्पर्क में रहे तथा प्रशिक्षण के दौरान भी स्वरोजगार की स्थापना हेतु आवश्यक परामर्श/सहायता दे।

(।।।) अभिभावक तथा प्रशिक्षण संस्थान का यह दायित्व होगा कि वे हितग्राही के ऋण प्रकरण को प्रशिक्षण के दौरान ही तैयार कराकर संबंधित वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत तथा वितरण कराने का प्रयास करे।

16 प्रशिक्षण

(अ) प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 सप्ताह का होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक बेच में 20 से 40 प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुखतः निम्नानुसार जानकारी दी जावेगी एवं कार्यवाही की जावेगी–

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यतः विभिन्न विभागों की स्वराजगार एवं आर्थिक सहायता आदि से संबंधित योजनाओं की जानाकरी दी जावेगी।
2. लेखा जोखा, लाभ हानि आदि के संबंध में जानकारी।
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, बाजार सर्वेक्षण कच्चा माल आदि के संबंध में।
4. आवेदकों की चयनित उद्यम की स्थापना के लिये आवेदन पत्र तैयार करवाना, संबंधित संस्था को प्रेषित करना तथा समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कराना।
5. विभिन्न विभागों की अनुमति, सम्मति, पंजीयन, अनुज्ञप्ति आदि की आवेदन पत्र एवं प्रकियाओं की जानकारी दी जावेगी।
6. वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की प्रकिया, औपचारिकतायें एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
7. चयनित गतिविधि अथवा उससे संबंधित गतिविधि व्यवहारिक प्रशिक्षण।
8. क्षेत्रीय भ्रमण

(ब) व्यवहारिक (प्रेक्टिकल) प्रशिक्षण हेतु–

1. यदि कोई हितग्राही कौशल उन्नयन हेतु किसी राष्ट्रीयअथवा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण लेना चाहता है तो प्रशिक्षण अवधि में 500 रूपये प्रतिमाह प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति देय होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि 3 से 6 माह होगी।
3. संस्था को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में नियमानुसार जो निर्धारित होगा देय होगा।
4. प्रशिक्षण हेतु हितग्राही का चयन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से होगा।

17 प्रशिक्षण व्यय

चयनित हितग्राहियों को सैद्धान्तिक अथवा व्यवहारिक प्रशिक्षण

हेतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन किया जावेगा।

अ. सैद्धान्तिक प्रशिक्षण हेतु –

प्रशिक्षण व्यय प्रति प्रशिक्षार्थी रूपये 2500/– होगा जिसमें से रूपये 1000/– प्रशिक्षार्थी को प्रोत्साहन राशि के रूप दिया जावेगा। रूपये 1500/– प्रशिक्षण संस्था को प्रशिक्षण संचालन के लिए देय होगा। उक्त राशि को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निम्नानुसार व्यय किया जावेगाः–

1. प्रशिक्षण हेतु भवन/स्थान का किराया।
2. प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराना।
3. प्रशिक्षक को मानदेय देना।
4. प्रशिक्षार्थियों को दोपहर भोजना व्यवस्था 5. आकस्मिक विविध व्यय इत्यादि।

ब. व्यवहारिक (प्रेक्टिकल) प्रशिक्षण हेतु–

1. यदि कोई हितग्राही कौशल उन्नयन हेतु किसी राष्ट्रीयअथवा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण लेना चाहता है तो प्रशिक्षण अवधि में 500 रूपये प्रतिमाह प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति देय होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि 3 से 6 माह होगी।
3. संस्था को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में नियमानुसार जो निर्धारित होगा देय होगा।
4. प्रशिक्षण हेतु हितग्राही का चयन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से होगा।

18. प्रशिक्षण हेतु संस्थायें

प्रशिक्षण का दायित्व उद्यमिता मध्यप्रदेश (सेडमेप) को दिया जावेगा। आवश्यकतानुसार उद्योग आयुक्त से अनुमति के पश्चात अन्य संस्थाओं को भी प्रशिक्षण हेतु दायित्व दिया जा सकेगा।

19. मार्जिन मनी स्वीकृति के अधिकार

स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हितग्राहियों को ऋण प्राप्त करने के स्वयं के स्तर से मार्जिन मनी लगानी पड़ती है किन्तु जो हितग्राही मार्जिन मनी लगाने की स्थिति में नहीं रहता है उसे ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है अतः इस योजनान्तर्गत चयनित हितग्राहियों को निम्नानुसार उसके उद्यम की आवश्यकता को देखते हुए मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता अनुदान के रूप में होगी :–

- 1.00 लाख (एक लाख तक) मार्जिन मनी की आवश्यकता के प्रकरणों में स्वीकृति जिला स्तरीय समिति द्वारा की जा सकेगी।
- 1.00 लाख (एक लाख) से 5.00 लाख तक की मार्जिन मनी के प्रकरणों में स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जावेगी।
- 5.00 लाख से अधिक की मार्जिन मनी के प्रकरणों को स्वीकृति उद्योग आयुक्त द्वारा दी जावेगी।
- मार्जिन मनी की राशि किसी भी स्थिति में स्वीकृत परियोजना

लागत के 30 प्रतिशत या 15.00 लाख जो भी कम होगी।

20. मार्जिन मनी सहायता सीमा — हितग्राही को बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत (भूमि/भवन,प्लांट एवं मशीनरी तथा तीन माह हेतु आवश्यक कार्यशील पूंजी) के 30 प्रतिशत से या रू.15 लाख रूपये जो भी कम होगी।

21. प्रक्रिया

21.1 वित्तीय संस्था द्वारा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृत किये गये प्रकरण में यह आवंकलन भी किया जावेगा कि परियोजना हेतु आवश्यक मार्जिन मनी में से कितनी राशि आवेदक द्वारा लगायी जा सकती है। इस आधार पर वित्तीय संस्था द्वारा संबंधित कार्यालय से प्रपत्र 1 में, हितग्राही के सहमति पत्र (प्रपत्र 2 अनुसार) सहित, मार्जिन मनी के शेष अंशदान की पूर्ति हेतु मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करने हेतु अनुरोध किया जावेगा। संदर्भित सहमति पत्र, वित्तीय संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा।

21.2 वित्तीय संस्था द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

21.3 सक्षम अधिकारी द्वारा मार्जिन मनी स्वीकृति के उपरांत आगामी 15 कार्य दिवस के अंदर स्वीकृत राशि का आहरण किया जाकर, वित्तीय संस्था को मार्जिन मनी सहायता की राशि उपलब्ध करायी जायेगीं

21.4 पैरा 8.4 में उल्लेखित प्रावधिक स्वीकृति के प्रकरणों में स्वीकृति उपरांत राशि के आहरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी, परंतु वित्तीय संस्था को राशि, सक्षम समिति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही उपलब्ध कराई जावेगी।

22. वित्तीय संस्था के दायित्व

22.1 वित्तीय संस्था का दायित्व होगा कि वह ऋण स्वीकृति के पूर्व आवेदक की वित्तीय स्थिति अनुरूप इस तथ्य का ऑकलन कर ले कि स्वंय आवेदक कितना अंशदान कर सकता है तथा राज्य शासन की ओर से कितनी मार्जिन मनी सहायता राशि की आवश्यकता होगी।

22.2 स्वीकृति परियोजना अनुसार, हितग्राही से उसके अंशदान के समायोजन के पश्चात ही, ऋण तथा मार्जिन मनी सहायता की राशि वितरित की जावे।

22.3 कार्यालय द्वारा आवश्यक मार्जिन मनी सहायता राशि उपलब्ध करायी जाने के पश्चात यह आवश्यक होगा कि स्वीकृति परियोजनानुसार ऋण राशि हितग्राही को 15 कार्य दिवस में वितरित कर दी जावें।

22.4 मार्जिन मनी की राशि प्राप्त होने के एक माह की अवधि में कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जावें।

22.5 यदि किन्हीं कारणों से प्रथम वितरण दिनांक सक एक वर्ष की अवधि में पूर्ण स्वीकृत ऋण राशि का वितरण वित्तीय संस्था द्वारा नहीं किया जाता है तो, वितरित किये गये ऋण के अनुपात में ही मार्जिन मनी सहायता राशि का समायोजन किया जाकर शेष राशि, उक्त अवधि के समाप्ति से 15 दिवस के अंदर

कार्यालय को वापस उपलब्ध कराने का दायित्व वित्तीय संस्था का होगा।

23. मार्जिन मनी राशि का दुरूपयोग

दुरूपयोग से तात्पर्य मार्जिन मनी सहायता राशि के दुरूपयोग किये जाने से होगा। इसके अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये सहायता राशि के उपयोग के साथ–साथ निम्न भी सम्मिलित होगा :–

I. यदि प्रथम ऋण वितरण दिनांक से एक वर्ष की अवधि में, बिना समुचित कारणों के/जान बुझकर स्वीकृत उद्यम/व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया हो।

II. यदि उद्यम/व्यवसाय, प्रारंभ करने के दिनांक से 2 वर्ष के अंदर ही, बिना समुचित कारणों के/जान बुझकर बंद कर दिया गया हो।

राज्य शासन से तात्पर्य, मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से है।

24. निरस्तीकरण/वसूली

निम्न उल्लेखित एक या एक से अधिक परिस्थितियों में प्राप्त मार्जिन मनी सहायता राशि, स्वीकृत कर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त की जाकर, एक प्रतिशत वार्षिक दाण्डिक ब्याज सहित, बकाया भू–राजस्व के रूप मेंवसूली योग्य होगी :–

I. यदि गलत/भ्रामक जानकारी के आधार पर मार्जिन मनी सहायता राशि स्वीकृत/ वितरत की गयी हो।

2. किसी भी समय यह पाया जाता है कि योजना का लाभ अनुसूचित जाति/ जनजाति के नाम पर अन्य कोई व्यक्ति करता है तो प्रकरण निरस्त किया जावेगा।

25. उद्यम की स्थापना

अ. आदर्श स्थिति में प्रशिक्षण पूर्ण होने तक ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही हो जानी चाहिए जिससे प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात 30 कार्य दिवस की अवधि में प्रशिक्षार्थी का उद्यम स्थापित हो सके।

किसी भी परिस्थिति में यह अवधि प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात 90 कार्य दिवस से अधिक की नहीं होगी।

ब. ऐसे प्रकरणों में जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, ऋण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 90 कार्य दिवस की अवधि में उद्यम स्थापित होना सुनिश्चित किया जावेगा।

स. ऋण प्रकरण प्रेषित करने के पश्चात 2 माह की अवधि में ऋण वितरित नहीं किए जाने की दशा में संबंधित अभिभावक प्रकरण की वस्तुस्थिति से महाप्रबंधक को अवगत करायेगा। महाप्रबंधक ऐसीस्थिति की जानकारी प्राप्त होने की 15 कार्य दिवस की अवधि में ऋण वितरण हेतु सघन प्रयास करेंगे।

द. उपरोक्तानुसार प्रयास के बाद भी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण वितरण नहीं किया जाता है तो प्रकरण जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

ई. संबंधित कलेक्टर ऐसे प्रकरणों में व्यक्तिगत रूप से एल.डी.एम.

एवं संबंधित बैंक के जिलासमन्वयक से बैठक कर कार्यवाही करते हुए आगामी 15 कार्य दिवस में ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करवायेंगे।

फ. उपरोक्तानुसार समय सीमा मं प्रत्येक स्तर पर आवश्यक तथा सघन अनुसरण के बाद भी यदि किसी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण वितरण नहीं किया जाता है तो संबंधित कलेक्टर ऐसे प्रकरणों कीजानकारी उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करेगे जो बैक के वरिष्ठतम स्तर से एस.एल.बी.सी के माध्यम से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

26. समीक्षा एवं अनुसरण

योजना के कियान्वयन की सतत समीक्षा तथा हितग्राहियों के सफल स्थापित होने की प्रकिया में अनुसरण का दायित्व निम्न पर होगा –

1. अभिभावक
2. प्रशिक्षण देने वाली संस्था
3. जिला स्तरीय चयन समिति

4. राज्य स्तरीय समिक्षा समितिः– या समिति प्रत्येक तीन माह में कियान्वयन की समीक्षा करेगी।

1. प्रमुख सचिव, वा.उ. एवं रो. विभाग। –अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, अनु.जाति कल्याण विभाग या प्रतिनिधि
3. प्रमुख सचिव,आदिम जाति कल्याण विभाग या प्रतिनिधि
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त ।
5. आयुक्त अनुसूचित जाति
6. आयुक्त आदिम जाति
7. उद्योग आयुक्त, सदस्य सचिव।

27. विविध

1. पैरा 15 में उल्लेखित अ तथा ब श्रेणी के हितग्राही यदि किसी भी राज्य/केन्द्र शासन की प्रचलित स्वरोजगार/ऋण योजना इत्यादि में पात्रता रखते हैं तो संबंधित हितग्राही कोउक्त योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषित किया जावे। ऐसी योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिलाया जाना बंधनकारी होगा।
2. ऐसे हितग्राही उक्त योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न वित्तीय सुविधाओं जैसे अनुदान आदि के पात्र होंगे।
3. ऐसे सभी हितग्राही जिन्होंने स्वरोजगार इकाई के रूप में किसी उद्योग/सेवा इकाई की स्थापना की है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रचलित ब्याज अनुदान योजना के प्रावधानों के अंतर्गत ब्याज अनुदान भी प्राप्त कर सकेंगे।
4. ऐसे हितग्राहियों जिनका वित्त पोषण केन्द्र/राज्य शासन के किसी प्रचलित योजनान्तर्गत किया गया हो, के प्रकरणों में प्रशिक्षण व्यय की सीमा अनुसार उक्त योजनासे ही किया जावेगा।
5. योजनानतर्गत प्रशिक्षण, मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान आदि का व्यय बजट शीर्ष 41 तथा 64 से विकलनीय होगा।

6. इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे इस हेतु समाचार पत्र, रेडियों, दूरदर्शन के साथ–साथ जिले के विभिन्न स्थानों में जागरूकता शिविर आयोजित कर भी किया जावे।
7. इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही आदेश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त अधिकृत होंगे एवं योजनाओं में सिकी भी प्रकार की व्याख्या अथवा संशोधन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा।
8. गलत एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति योजना के अंतर्गत यदि लाभ प्रापत करता है तो उसे प्रदाय की गई समस्त राशि दण्डिक ब्याज के साथ वसूल की जावेगी तथा विधि सम्मत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
9. ऐसे सभी हितग्राही जिन्होंने स्वरोजगार इकाई के रूप में किसी उद्योग/सेवा/व्यवसाय के स्थापना की है उनके द्वारा उक्त उद्योग/ सेवा/व्यवसाय को स्थापना दिनांक से दो वर्ष तक (न्यूनतम) संचालित रखा जाना अनिवार्य होगा।
10. चूंकि उक्त योजना स्वरोजगार उपलब्ध करा रही है। ऐसी स्थिति में ब्याज अनुदान की राशि उद्योग/ सेवा/ व्यवसाय की स्थापना पर (कम्पोजिट लोन) स्थाई पूंजी एवं कार्यशील पूंजी दोनो हेतु प्राप्त ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान नियमों के अनुसार प्रदाय किया जावेगा ।

इस योजना अन्तर्गत ब्याज अनुदान लाभ विकसित एवं पिछड़े दोनों प्रकार के जिलों में दिया जावेगा। इस योजनान्तर्गत कोई भी उद्योग/सेवा/व्यवसाय प्रतिबद्धित नही होगा तथा शहरी एवं ग्रामीणों इकाईयों को भी इसका लाभ दिया जावेगा।

11. वित्तीय संस्था से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राजय शासन द्वारा घोषित ऐसी संस्था से है जिसके द्वारा हितग्राही को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की हो।
12. मार्जिन मनी स्वीकृत करने हेतु अधिकृत चयन समिति तथा जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि स्वीकृत प्रकरणों मं समय समय पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन/प्रगति की समीक्षा करें। मार्जिन मनी के दुरूपयोग संबंधी प्रकरणों में चयन समिति/जिला कलेक्टर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगी।
13. मार्जिन मनी सहायता राशि का आहरण निम्न बजट शीर्ष से विकलनीय होगा।

अ– मांगा संख्या–64 अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना
2851–ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 102–लघु उद्योग
0103–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनाएं
7891–रानी दुर्गावती सहायता योजना
42–सहायक अनुदान
007–अन्य

ब. मांग संख्या–41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना,

2851– ग्रामोद्योग और लघु उद्योग
102–लघु उद्योग
0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना,
8852–रानी दुर्गावती मार्जिनमनी योजना,
42–सहायता अनुदान
007–अन्य

14. व्यवसाय के अपग्रेडशन ऑफ स्किल के अन्तर्गत पूर्व से प्रतिस्थापित पैतृक व्यवसाय के उन्नयन एवं गुणवकता हेतु विशेष प्राथमिकता दी जावे।
15. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के प्रकरणों मं सहायता राशि क्रमशः 13 अ तथा 13 ब में उल्लेखित मांग संख्या से विकलनीय होगी।